कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 349/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 05.09.2026

प्रेस नोट, दिनांक–05.09.2026
थाना–महराजगंज, जनपद–आजमगढ़ |

□ **दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
□ **मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर महराजगंज पुलिस की कार्रवाई**

आजमगढ़। थाना महराजगंज क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

➡ □दिनांक 04.09.2026 को वादी श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 गिरिराज सिंह, निवासी जयरामपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा अपनी पुत्री शिवांगी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं हत्या किए जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 214/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के तहत राहुल सिंह सहित 03 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ □**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार** के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा दिनांक 05.09.2026 को अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी महुवी खास, थाना महराजगंज, आजमगढ़ को उसके घर से समय 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:
राहुल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी महुवी खास, थाना महराजगंज, आजमगढ़, उम्र करीब 34 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 214/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश मय हमराह का0 कृष्णानन्द भारती, रि0का0 गोविन्द चौहान एवं रि0का0 अंशू चौधरी, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, | दिनांक–05.09.2026
थाना रौनापार व कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

□ **साइबर फ्रॉड पीड़ितों को राहत, ₹22,201/- वापस कराए**

□ **रौनापार व कोतवाली पुलिस की त्वरित साइबर कार्रवाई**

आजमगढ़। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार एवं थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो साइबर फ्रॉड पीड़ितों की कुल ₹22,201/- धनराशि वापस कराई गई।

➡ थाना रौनापार क्षेत्र के आवेदक लखेदु राम के खाते से हुए ₹25,001/- के साइबर फ्रॉड में ₹13,000/- होल्ड कराए गए, जिसमें से ₹3,000/- वापस करा दिए गए हैं। शेष ₹10,000/- की वापसी की कार्रवाई प्रचलित है।

➡ वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र की आवेदिका उर्मिला सिंह से हुए ₹19,201/- के साइबर फ्रॉड में साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी ₹19,201/- धनराशि वापस करा दी गई।

जनपद पुलिस ने अपील की है कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.09.2026
थाना- मुबारकपुर जनपद- आजमगढ़

फर्जी व कूटरचित वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार कर ग्राहकों से ठगी करने वाला दिल्ली का शातिर वांछित आरोपी गिरफ्तार

रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के नाम पर फर्जी पॉलिसी तैयार कर ग्राहकों से करता था ठगी।
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ओप्पो मोबाइल फोन व 01 सिम कार्ड बरामद।

पूर्व की घटना-
मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेशानुसार रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुबारकपुर पर रवि कुमार झा पुत्र विनोद झा एवं अंकित जायसवाल के विरुद्ध फर्जी व कूटरचित इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार कर आम जनता से धोखाधड़ी/ठगी करने के संबंध में मु0अ0सं0 298/2026, धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 05.09.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र में भ्रमण/शांति व्यवस्था हेतु बड़ी अर्जेन्टी तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त का वांछित आरोपी रवि कुमार झा रोडवेज तिराहे के पास मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समय करीब 13:05 बजे, रोडवेज तिराहा से कुछ दूरी पहले, कस्बा मुबारकपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण-
रवि कुमार झा पुत्र विनोद झा, उम्र करीब 28 वर्ष, वर्तमान पता- जे-1/44 चाणक्य प्लेस पार्ट-1, उत्तमनगर जनकपुरी, थाना जनकपुरी, नई दिल्ली; मूल पता- भासर चौक, वार्ड नं0-10, सीतामढ़ी, थाना सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी, बिहार।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान आरोपी ने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वह ग्राहकों से रुपये लेकर **रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के नाम पर फर्जी व कूटरचित इंश्योरेंस पॉलिसी** तैयार कर अनुचित लाभ अर्जित करता था।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 298/2026, धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

01 ओप्पो मोबाइल फोन एवं 01 सिम कार्ड बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी, का0 कुलदीप सरोज, का0 मुकुन्द मिश्रा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 05.09.2026

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (1 माह 15 दिवस) के कारावास व 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (1 माह 15 दिवस) के कारावास व 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.02.2009 को वादी मुकदमा उ0नि0 एहसान उल्लाह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त जय प्रकाश यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी बनगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 200 मिली के 37 पाऊच अपमिश्रित शराब बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-96/2009 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक-05.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जय प्रकाश यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी बनगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 माह 15 दिवस) के कारावास व 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।